निबंधन न कराने वाले बिल्डरों पर रेरा ने ठोका सौ फीसद जुर्माना

अब सर्वे कराकर बिल्डरों से रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वसूलेगी जुर्माना

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने 30 अप्रैल तक निबंधन न कराने वाले निर्माणाधीन अपार्टमेंट के बिल्डरों पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है। अब 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन शुल्क पर सौ फीसद या एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर रेरा 31 मई के बाद बिल्डरों के खिलाफ एफआइआर कराएगा। रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने शुक्रवार को पत्रकारों से यह जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद एक्ट के तहत बिल्डरों पर यह जुर्माना लगाया गया है। कहा कि तमाम चेतावनी के बावजूद अंतिम तारीख तक महज 325 बिल्डरों ने ही रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के आखिरी दिन यानी 30 अप्रैल को 50 ऑनलाइन आवेदन आए। अब रेरा ने प्रदेशव्यापी सर्वे कराकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है।

रेरा के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने बताया कि अभी तक 21 बिल्डरों के खिलाफ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है। बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने रेरा में बगैर रजिस्ट्रेशन कराए परियोजनाओं का निर्माण कार्य और प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। रेरा के चेयरमैन ने लोगों से ऐसे बिल्डरों से संपत्ति खरीदने से बचने की चेतावनी भी दी है। 500 वर्ग मीटर या आठ फ्लैट बनाने से पूर्व रेरा में निबंधन अनिवार्य है। अगर बिल्डर्स तय सीमा पर घर बनाकर नहीं देता है तो ब्याज सहित रकम वसूली जाएगी। बिल्डर्स को आर्थिक दंड और तीन वर्ष की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

पत्रकारों से बात करते रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन।

31 मई तक जुर्माना सहित निबंधन का एक और मौका, इसके बाद सीधे होगी एफआइआर

325 बिल्डरों ने ही चेतावनी के बावजूद रजिस्ट्रेशन के लिए किया आवेदन

बिल्डरों को समय से पूरा करना होगा प्रोजेक्ट

रेरा लागू होने के बाद बिल्डर को तय समय में फ्लैट की डिलिवरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अथॉरिटी को जवाब देना होगा। अब एक्ट के तहत वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को पूरी जानकारी उपलब्ध होगी और ग्राहकों के पास अधिक-से-अधिक ऑप्शन मौजूद होंगे। नए कानून में डेवलपर को परियोजना में जो भी राशि प्राप्त होती है, उसकी 70 फीसद राशि एक अलग बैंक खाते में जमा करनी है। परियोजना के अभियंता, वास्तुविद व चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के आधार पर उसी अनुपात में राशि की निकासी करनी है, जिस अनुपात में परियोजना का काम हुआ होगा।

...तो भरना होगा जुर्माना : पंजीकृत प्रोजेक्ट के संदर्भ में फ्लैट या व्यावसायिक प्रॉपर्टी खरीदारों को ऑफलाइन शिकायत की सुविधा उपलब्ध होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी देर से प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों पर जुर्माना भी लगा सकती है।

रेरा के रडार पर आए बिल्डर

विद्यानंदन माहेश्वरी, चित्रा रेसीडेंसी, सत्यमेव डेवलपर्कोन प्रा.लि., सोना प्रोडेवलपर्स, भवानी ग्रुप, पटना ग्रीन हाउसिंग प्रा.लि., विराट होम्स इंफ्रा प्रा. लि., आशीर्वाद इंजीकॉन रीयल इस्टेट प्रा. लि., आरपी एन्क्लेव, रीयल ग्रीन होम्स प्रा.लि., अपना आशियाना होम्स प्रा.लि., स्थल प्रोपराइट्स प्रा.लि., गीता विहार डेवलपर्स, इकोस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. और डेलकॉन होम्स प्रा.लि. है।